भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1222

27.07.2026 को उत्तर के लिए

पेड़ों की अवैध कटाई और प्रवर्तन तंत्र

1222. श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान शहरी क्षेत्रों, वन क्षेत्रों और उप-शहरी क्षेत्रों में पेड़ों की अवैध कटाई की घटनाओं में वृद्धि का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान ऐसी घटनाओं, दर्ज किए गए मामलों, शुरू किए गए मुकदमों, दोषसिद्धि और वृक्षावरण को हुए अनुमानित नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने शहरी विस्तार, अवसंरचना परियोजनाएं, अतिक्रमण, अवैध खनन और वाणिज्यिक गतिविधियों सहित पेड़ों की अवैध कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारणों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अवसंरचना, औद्योगिक, खनन और रियल एस्टेट परियोजनाओं के तहत पेड़ों की कटाई की अनुमति देते समय लगाई गई शर्तों के अनुपालन की समीक्षा की है और यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान पाए गए उल्लंघनों की संख्या, की गई कार्रवाई और लगाए गए जुर्माने का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का अवैध कटाई को रोकने और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचे, निगरानी तथा प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ड.) शहरी क्षेत्रों, वन क्षेत्रों और उपनगरीय क्षेत्रों में पेड़ों की सुरक्षा और अवैध कटाई के खिलाफ कार्रवाई मुख्य रूप से भारतीय वन अधिनियम, 1927, संबंधित राज्य अधिनियमों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की

जिम्मेदारी है। तदनुसार, अवैध वृक्ष कटाई की घटनाओं में वृद्धि अथवा कमी से संबंधित विवरण संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा संधारित किया जाता है।

हालांकि, भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023 के अनुसार, देश का वन और वृक्ष आवरण 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। आईएसएफआर, 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में 1,445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, वर्ष 2013-2023 के दशक के दौरान वन और वृक्ष आवरण में कुल 37,378 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो देश के वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

विभिन्न कारणों से वृक्षों की अवैध कटाई के मामलों में, लागू अधिनियमों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विधिक कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, वन भूमि के अपवर्तन के मामले में, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत प्रतिपूरक वनीकरण और अन्य अनुपालन उपाय सुनिश्चित किए जाते हैं। भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और संबंधित राज्य वन अधिनियमों, वृक्ष संरक्षण अधिनियमों और नियमों के उपबंधों के तहत वन और वृक्ष संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा मौजूद है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इन वैधानिक उपबंधों के अंतर्गत अवैध वृक्ष कटाई को रोकने तथा वनों एवं वृक्ष संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयुक्त उपाय करते हैं।
